North Asian International Research Journal of Multidisciplinary

CIF IMPACT FACTOR:4.465

ISSN: 2454-2326 Vol. 4, Issue-10 October-2018

Index Copernicus Value 58.12

बिहार राज्य में समेकित बाल विकास कार्यक्रम की वर्त्तमान स्थिति

अष्वनी कुमार झा

शोधार्थी
विषय :– वाणिज्य
वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रषासन विभाग
ललित नारायण मिथिला विष्वविद्यालय, दरभंगा

भूमिका

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 0 से 6 वर्श के उम्र के 1.91 करोड़ बच्चे हैं जिनका राज्य की कुल आबादी में 18.3 प्रतिषत हिस्सा है। ये बच्चे राज्य के भावी मानव संसाधन हैं। इसलिए 1975 में समेकित बाल विकास योजना का षुभारंभ अन्य राज्यों के साथ–साथ बिहार के 33 प्रखंडों में भी किया गयाा था। समेकित बाल विकास योजना का एक केन्द्र प्रायोजित योजना जो छः सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराती है – माताओं को पूरक पोशाहार, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जाँच, रेफरल सेवाएं, पोशण एवं स्वास्थ्य षिक्षा तथा 3 से 6 वर्श के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय–पूर्व षिक्षा। समेकित बाल विकास योजना के लक्ष्य समूह को आंगनवाड़ी केन्द्रों के जरिए सहायता पहुँचाती है। योजना के कर्मचारियों मे बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी सेविका और आंगनवाड़ी सहायिका षामिल होते हैं। कार्यक्रम के लाभार्थी 0 से 6 वर्श उम्र के बच्चे, गर्भती महिलाएं और षिषुवती माताएं हैं। योजना के निम्नलिखत उद्देष्य हैं :–

- 0 से 6 वर्श के बच्चों की पोशण और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार;
- बच्चों को उचित मनोवैज्ञानिक, षारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना;
- बच्चों में मृत्यु, रूग्णता, कुपोशण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना;
- बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन का प्रभावी समन्वय हासिल करना; और
- बच्चों की सामान्य स्वास्थ्य और पोशण संबंधी जरूरतों की देखभाल के लिए उचित पोशण और स्वास्थ्य षिक्षा के जरिए माताओं की क्षमता बढ़ाना।[2]

समाज कल्याण विभाग महिलाओं, बच्चों, निःषक्तजनों, वृद्धजनों एवं समाज के अन्य अभिवंचित वर्गों के हितों तथा अधिकारों के संरक्षण, सम्वर्द्धन एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार का महत्वपूर्ण विभाग है, जिसका मुख्य उद्देष्य इन समूहों की समेकित उन्नति

एवं विकास के लिए संविधान, विभिन्न अधिनियमों, राज्यादेष एवं नियमावली के अनुसार नीतियाँ, कार्य योजनाएँ एवं कार्यक्रम तैयार कर उनका कार्यान्वयन करना है। वर्श – 2007 में कल्याण विभाग से अलग होने के पश्चात् यह विभाग लगातार अपने उद्देष्यों की पूर्ति की ओर अग्रसर है। विभाग के अधिन तीन निदेषालय कार्यरत हैं, जिनके माध्यम आवंटित कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जाता है :–

- समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेषालय,
- समाज कल्याण निदेषालय एवं
- सामाजिक सुरक्षा एवं निःषक्तता निदेषालय।

समेकित बाल विकास योजना का कार्यान्वयन

समेकित बाल विकास योजना का कार्यान्वयन समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेषालय के द्वारा किया जाता है। इस निदेषालय के द्वारा मुख्यतः आई0 सी0 डी0 एस0 की योजना संचालित होती है, जिसके अंतर्गत समेकित रूप से 0–6 वर्श के बच्चों, गर्भवती तथा धातृ महिलाओं व किषोरी बालिकाओं को पूरका पोशाहार, स्कूल–पूर्व षिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, पोशण एवं स्वास्थ्य षिक्षा तथा संदर्भ सेवाएँ सहित छः प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती है। योजना के कार्यान्वयन हेतु नीतिगत विशयों, बजट, प्रषिक्षण संबंधी आवष्यक कार्य, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि का कार्य भी होता है।

समेकित बाल विकास सेवा योजना :– वर्श 1975 से प्रारम्भ हुई समेकित बाल विकास सेवा योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। यह प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक अनूठा सर्वव्यापी समुदाय आधारित कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत बच्चों और महिलाओं की बहुआयामी तथा पारस्परिक आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए कारगर तथा कम लागत पर सेवाएँ दी जाती हैं।

उक्त उद्देष्यों की पूर्ति के लिीए समेकित रूप से निम्नलिखित छः सेवायें 0–6 वर्श के बच्चों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं व किषारी बालिकाओं को इस कार्यक्रम द्वारा प्रदान की जाती है :–

1. पूरक पोशाहार
2. स्कूल पूर्व षिक्षा
3. टीकाकरण
4. स्वास्थ्य जाँच
5. पेशण एवं स्वास्थ्य षिक्षा
6. संदर्भ सेवायें

समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई. सी. डी. एस.) द्वारा उपरोक्त सेवाओं के आधार पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निम्न योजनाओं का संचालन राज्य योजना अन्तर्गत किया जा रहा है :–

1. **समेकित बाल विकास सेवा योजना (राज्य योजना – केन्द्रांष एवं राज्यांष):–** राज्य के सभी जिलों में 38 जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं सभी प्रखंडों में 544 बाल विकास परियोजना कार्यालय स्वीकृत एवं संचालित है। भारत सरकार के निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्श 2015–16 के प्रभाव से पूरक पोशाहार मद में तथा अन्य सभी योजनओं में का अनुपात निर्धारित है।

   वित्तीय वर्श 2016–17 में स्थापना मद में दिनांक 13.02.2017 तक केन्द्रांष में 19407.03 लाख रू0 तथा राज्यांष में 13372.51 लाख रू0 व्यय किये गए। वित्तीय वर्श 2017–18 में स्थापना मद में केन्द्रांष में 71563.25 लाख रू0, राज्यांष मे 38990.11 लाख रू0 राज्य योजना में 12596.06 लाख रू0 का उदव्यय / बजट उपबन्ध प्रस्तावित है।

2. **पूरका पोशाहार कार्यक्रम (राज्य योजना–केन्द्रांष एवं राज्यांष) :–** राज्य के सभी 38 जिलों के 544 बाल विकास परियोजनाओं में कुल स्वीकृत 91677 आँगनवाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से 6 माह से 6 वर्श के सभी सामान्य/कुपोशित बच्चों, सभी अतिकुपोशित बच्चों एवं सभी गर्भवती/षिषुवती महिला को पूरक पोशाहार प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है।

   इसके अतिरिक्त भारत सरकार से नव स्वीकृत 23041 आँगनवाड़ी केन्द्र (मिनी सहित) स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। वित्तीय वर्श 2016–17 में पूरक पोशाहार मद में दिनांक 13.02.2017 तक केन्द्रांष में 42305.47 लाख रू0 तथा राज्यांष मे 28606.34 लाख रू0 व्यय किये गए। वित्तीय वर्श 2017–18 में पूरक पोशाहार मद में केन्द्रांष में 94255.34 लाख रू0 तथा राज्यांष में 84409.87 लाख रू0 का उदव्यय / बजट उपबन्ध प्रस्तावित है, जिसमें केन्द्रांष–विषेश घटक में 23563.84 लाख रू0 तथा राज्यांष–विषेश घटक में 48692.00 लाख रू0 तथा राज्यांष–जनजातीय योजना के लिए 8776.96 लाख रूव का उदव्यय / बजट उपबन्ध सन्निहित है।

3. **आँगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोषाक योजना (राज्य योजना–सामान्य/ विषेश घटक) :–** राज्य के बाल विकास परियोजनओं के अन्तर्गत कार्यरत सभी आँगनवाड़ी कन्द्रों पर स्कूल पूर्व षिक्षा प्राप्त कर रहें 3–6 वर्श आयु के सभी बच्चों को रू0 250/– वार्शिक लागत की दर पर पोषाक की राषि दी जाती है। पोषाक मद में व्यय षत्–प्रतिषत राज्य योजना–राज्यांष मद से वहन का प्रावधान है। वित्तीय वर्श 2016–17 में 8895.70 लाख रू0 बजट उपबंध प्राप्त है। वित्तीय वर्श 2017–18 में 10003.94 लाख रू0 का उदव्यय / बजट उपबन्ध प्रस्तावित है, जिसमें विषेश घटक के रूप में 2500.94 लाख रू0 सन्निहित है।

4. **एम. आई. एस. प्रणाली (राज्य योजना) –** आई. सी. डी. एस. योजना के अन्तर्गत मैनेजमेंट इनफोरमेसन सिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु राज्य स्तर पर डाटा सेन्टर की स्थापना की गई है। जिला / परियोजना स्तर पर संबंधित कार्यालयों में कम्प्यूटर की व्यवस्था की गयी है, साथ ही उक्त कार्यालयों में कम्प्यूटर के संधारण हेतु बेल्ट्रॉन / जिला स्तरीय पैनल से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवाएँ उपलब्ध करायी गयी है। वित्तीय वर्श 2016–17 में दिनांक 13.02.2017 तक

602.03 लाख रू0 व्यय किये गये। वित्तीय वर्श 2017–18 में 900.00 लाख रू0 का उदव्यय / बजट उपबन्ध प्रस्तावित है।

5. **किशारियों के सषक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला) –** राज्य के 12 जिलों यथा – पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, प0 चम्पारण, वैषाली, सहरसा, किषनगंज, कटिहार, बांका एवं मुंगेर में किषोरी बालिकाओं के सषक्तिकरण के लिए "सबला" कार्यक्रम वित्तीय वर्श 2011–12 से प्रारम्भ किया गया है, जिसके तहत किषोरी बालिकाओं को स्वालंबी बनाने के साथ–साथ पूरक पोशाहार भी प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्श 2015–16 से भारत सरकार से निर्धारित अनुपात में गौर–पोशण एवं पोशण मद में राज्य योजना–केन्द्रांष एवं राज्यांष का अनुपात क्रमषः 60:40 एवं 50:50 है। वित्तीय वर्श 2017–18 में कुल 20 लाख किषोरी बालिकाओं को पूरका पोशाहार तथा 16 से 18 वर्श की आयु समूह की स्कूल नहीं जानेवाली किषोरी बालिकाओं को व्यावसायिक प्रषिक्षण प्रदान कर षारीरिक एवं आर्थिक रूप से समृद्ध किया जाना है।

वित्तीय वर्श 2016–17 में दिनांक 13.02.2017 तक सबला मद में केन्द्रांष में 2041.20 लाख रू0 तथा राज्यांष में 1800.78 लाख रू0 का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्श 2017–18 में केन्द्रांष मे 154.01 लाख रू0 तथा राज्यांष में 5102.67 लाख रू0 का उदव्यय / बजट उपबन्ध प्रस्तावित है, जिसमें राज्यांष–विषेश घटक के रूप में 1275.66 लाख रू0 का उदव्यय/बजट उपबन्ध सन्निहित है।

6. **इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राश्ट्रीय महिला सषक्तिकरण मिषन –** राज्य के दो जिलों यथा – वैषाली एवं सहरसा में इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना वित्तीय वर्श 2011–12 से लागू किया गया है। इस योजना के तहत गर्भवती एवं षिषुवती महिलाओं को वित्तीय वर्श 2013–14 से भारत सरकार द्वारा रू0 6000/– की नगद प्रोत्साहन राषि दो किस्तों में प्रदान किए जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्श 2016–17 से भारत सरकार से निर्धारित अनुपात में राज्य योजना–केन्द्रांष एवं राज्यांष का अनुपात 60:40 है। इस योजना के तहत् गर्भवती महिलाओं को मातृत्व अनुदान प्रदान करना है एवं राश्ट्रीय महिला सषक्तिकरण मिषन के कार्यकलापों के सफल संचालन हेतु राषि उपलब्ध कराना है।

वित्तीय वर्श 2016–17 में दिनांक 13.02.2017 तक इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राश्ट्रीय महिला सषक्तिकरण मिषन मद में 11.34 लाख रू. का व्यय किये गये हैं। वित्तीय वर्श 2017–18 में इंदिरा गाँधी मातृत्व विकास योजना सहित राश्ट्रीय महिला सषक्तिकरण मिषन मद में केन्द्रांष में 5153.46 लाख रू0 तथा राज्यांष में 3435. 64 लाख रू0 का उदव्यय / बजट उपबन्ध प्रस्तावित है, जिसमें राज्यांष–विषेश घटक में 858.91 लाख रू0 का उदव्यय / बजट उपबन्ध सन्निहित है।

7. **आई. सी. डी. एस. प्रणाली पोशण सुधार एवं सुदृढ़ीकरण योजना (आई. एस. एस. एर. आई. पी.) बाह्य सम्पोशित योजना** :– भारत सरकार से सहयोग प्राप्त योजना प्ब्वै ैलेजमउ ैजतमदहजीमदपदह – छनजतपजपवद प्उचतवअमउमदज च्तवरमबज ;ैप्छप्च्द्ध विष्व बैंक सम्पोशित है, जिसके द्वारा आई. सी. डी. एस. के माध्यम से बच्चों की प्रारम्भिक षिक्षा तथा पोशण और स्वास्थ्य संबंधी परिणामों की प्राप्ति, सामुहिक सहभागिता, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के

माध्यम से बेहतर सेवा प्रदान करने का लक्ष्य है। इस योजना को वर्श 2013–14 से बिहार के 19 जिलों यथा – समस्तीपुर, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण, वैषाली, पष्चिमी चम्पारण, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल, जमुई, पूर्णियाँ, गोपालगंज, लखीसराय, सहरसा, भागलपुर, बक्सर एवं जहानाबाद के सभी 281 परियोजनाओं के कुल 43292 आँगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यक्रम संचालित है।

आई.सी.डी.एस. द्वारा विगत चार वर्श में कई नई पहल किए गए हैं एवं मुख्य सेवाओं के गुणवत्ता में भी सुधार लाने का प्रयास किया गया है। इन सभी कार्यक्रमों के परिणाम जानने हेतु एक सक्षम एवं सुगम अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण प्रणाली का होना अति आवष्यक है। इस दिषा में त्मेजतनबजनतमक ष्प्ब्क्ै के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए प्दवितउंजपवद ब्वउउनदपबंजपवद ज्मबीदवसवहल.त्मंस डवदपजवतपदह ;प्ब्ज्.त्ज्डद्ध को क्रियान्वित करने का निर्णय किया गया है। प्ब्ज्.त्ज्ड के द्वारा कार्यकर्त्ताओं की कार्यक्षमता में वृद्धि, बेहतर परिणाम, ब्वदबनततमदज डवदपजवतपदह और थ्ंबज इंेमक जपउमसल क्मबपेपवद लेने में सहायक होगा।

उक्त योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य वित्तीय वर्श 2016–17 तक किये गये हैं ’–

- सभी जिलों में बाल कुपोशण मुक्त बिहार अभियान के संदेषों को समुदाय के अंतिम पायदान तक पहुँचाने हेतु नुक्कड़–नाटक दो चरणों (प्रथम चरण अक्तूबर, 2014 एवं द्वितीय चरण मार्च, 2015) में सफल मंचन किया गया। जिसमें कुल 3140 ैवे का मंचन किया गया।
- सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रत्येक माह के 19 तारीख को अन्नप्रासन (ऊपरी आहार) कार्यक्रम का आयोजन निरंतर किया जा रहा है।
- सवंर्धित क्षमता विकास कार्यक्रम का उप–स्वास्थ्य केन्द्र / सेक्टर स्तर तक संचालन हेतु स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग का संयफकत हस्ताक्षरोपरान्त दिषानिर्देष का प्रेशण किया गया है।
- सवंर्धित क्षमता विकास (प्प्ै।) कार्यक्रम का उप–स्वास्थ्य केन्द्र / सेक्टर स्तर तक संचालन हेतु जिला संसाधन समूह (क्त्ळ) एवं प्रखंड संसाधन समूह (क्त्ळ) का गठन किया गया है। कुल 190 जिला संसाधन समूह (क्त्ळ) के सदस्यों को मॉड्यूल 1 से 12तक प्रषिक्षण दिया जा चुका है एवं ग्राम स्तर तक त्वसस.व्नज ;ठत्ळद्ध सदस्यों के द्वारा किया जा रहा ळे

योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य वित्तीय वर्श 2017–18 में प्रस्तावित है –

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ष्प्ब्क्ै परियोजना का पुनर्गठन किया गया है। जिसके अन्तर्गत क्रमिक क्षमता विकास (प्ै।), अन्नप्रासन एवं प्ब्ज्.त्ज्ड का क्रियान्वयन छः चयनित जिलों समस्तीपुर, भागलपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय एवं सीतामढ़ी के कुल 12760 आँगनबाड़ी केन्द्रों का चयन किया गया है।

- पुनर्गठित प्ैछप्च में प्दवितउंजपवद ब्वउउनदपबंजपवद ंदक ज्मबीदवसवहल मदंइसमक.त्मंस ज्पउम डवदपजवतपदह ;प्ब्ज्. त्ज्डद्ध गतिविधि को सम्मिलित किया गया है। प्रथम चरण में उक्त गतिविधि का क्रियान्वयन छः चयनित जिलों समस्तीपुर, भागलपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय, एवं सीतामढ़ी के कुल 12760 आँगनबाड़ी केन्द्रों का चयन किया गया है।

योजना के घटक – 3, (ब्वदअमतेंदज छनजतपजपवद ।बजपवद) के अंतर्गत एक प्रायोगिकी (च्पसवज) का प्रावधान किया गया है। जिसका मुख्य उद्देष्य समेकित बाल विकास सेवाएँ (प्ब्वै) द्वारा स्वास्थ्य एवं पोशण संबंधी दी जाने वाली सेवाएँ की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु स्थानीय स्तर पर जन प्रतिनिधियों के द्वारा सतत, अनुश्रवण, गुणवत्ता का मूल्यांकन उपलब्ध संसाधनों का उपयोग एवं ज्ञमल भ्मंसजी – छनजतपजपवद डमेंहमे पर ।कअवबंबल इत्यादि में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विशय " ।कअवबंबल ब्वउउनदपबंजपवद ंदक ैवबपंस डवइपसप्रंजपवद जीतवनही म्समबजमक त्मचतमेमदजंजपअम" का क्रियान्वयन प्रयोग के तौर पर दरभंगा जिला में किया जाना है। जिसे बाद में प्रायोगिकी की सफलता के आकलन के पश्चात विस्तारित भी किया जा सकता है।

8. आई. सी. डी. एस. अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण

आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण का कार्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जिसकी अद्यतन स्थिति निम्नांकित है –

- कुल आँगनबाड़ी केन्द्र – 91677 + 20341 + 114718
- केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत नया आँगनबाड़ी केन्द्र – 23041 (नव स्वीकृत केन्द्रों को जिलावार ग्रामीण परियोजनाओं में आवंटन प्रक्रियाधीन है।)
- भवन पूर्ण – 26097
- निर्माणाधीन भवन – 13977
- भूमि उपलब्ध, निर्माण प्रारम्भ नहीं – 25529
- भूमि उपलब्ध – 49115

वित्तीय वर्श 2016–17 में आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु केन्द्रांष की राषि 7200.00 लाख रू0 एवं राज्यांष की राषि 3601.00 लाख रू0 उपलब्ध है। वित्तीय वर्श 2016–17 में मनरेगा एवं आई. सी. डी. एस. के अभिसरण से 100 आँगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण कार्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराया जा रहा है। वित्तीय वर्श 2017–18 में मनरेगा एवं आई.सी.डी. एस. के अभिसरण से 12000 आँगनबाड़ी केन्द्र भवन का ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्माण हेतु केन्द्रांष की राषि 14401.00 लाख रू0 एवं राज्यांष की राषि 1600.02 लाख रू0 का उद्व्यय/बजट उपबंध प्रस्तावित है।

9. **मिषन मानव विकास –** मिषन मानव विकास के अन्तर्गत कुपोशण मुक्त बिहार अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा इस अभियान की सफलता हेतु सभी आवष्यक कार्रवाई को पूरा कर 11 अक्टूबर 2004, से बाल कुपोशण मुक्त बिहार अभियान सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रारम्भ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत निम्नांकित बिन्दुओं पर जोर दिया जा रहा हैः–

- जन्म के तुरंत बाद (एक घंटे के भीतर) स्तनपान।
- जन्म से 6 माह तक केवल माँ का दूध (पानी भी नहीं)।
- सातवें महीने से उपरी आहार की षुरूआत और उसके साथ स्तनपान भी।
- बाल्यावस्था के रोगों से बचाव तथा रोकथाम।
- स्वच्छ पानी (उबला एवं फिल्टर किया हुआ) का सेवन।
- हाथों की साफ–सफाई तथा स्वच्छता पर विषेश ध्यान तथा षौच के बाद, खाना बनाने से पहीले और खाना खाने व बच्चों को खाना खिलाने के पहले साबुन से हाथ धोना।
- 6 माह से 36 माह के बच्चों की वृद्धि निगरानी।
- 6 माह से 36 माह के बच्चों के लिए पूरक आहार के लिए व्यंजन, प्रत्येक माह के 19 तारीख को पोशाहार (ऊपरी एवं पूरक) बनाने एवं खिलाने की विधि का प्रदर्षनी।
- आशा एवं आँगनबाड़ी सेविका के पास ओ.आर.एस. एवं अन्य आवष्यक दवाईयों की उपलब्धता।
- पोशाहार में अंडा/सोयाबड़ी उपलब्ध कराना।
- आंगनबाड़ी विकास समिति का गठन एवं केन्द्र संचालन में सहयोग।

अभियान की सफलता हेतु स्वास्थ्य, षिक्षा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्राण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं नगर विकास विभाग की भागीदारी सुनिष्चित करने हेतु विभाग का सतत् प्रयास जारी है।

समेकित बाल विकास योजना का मूल्यांकन

अभी समेकित बाल विकास योजना राज्य के सभी 38 जिलों में 544 परियोजना कार्यालयों के जरिए चल रही है। 0 से 6 वर्श उम्र के 1.91 करोड़ बच्चों तथा 60.3 लाख गर्भवती और षिषुवती महिलाओं की जरूरतें पूरी करने के लिए कुल 91.6 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापति किए गए हैं। वर्श 2013–14 की तुलना में 2014–15 में आंगनबाड़ी सेविकाओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं की संख्या बढ़ी है लेकिन बाल विकास परियोजना अधिकारियों और महिला पर्यवेक्षकों की संख्या में कमी आई है। तालिका 4.2 के अनुसार 2014–15 में रिक्तियों का अनुपात इस प्रकार था – बाल विकास परियोजना अधिकारी (15.8 प्रतिषत), महिला पर्यवेक्षक (24.0 प्रतिषत), आंगनबाड़ी सेविका (6.3 प्रतिषत) और आंगनबाड़ी सहायिका (7.0 प्रतिषत)।

समेकित बाल विकास योजना के लिए बजट प्रावधान लगातार बढ़ा है और 2010–11 के 880.24 करो रू. से 2014–15 में 2,238.31 करोड़ रू. हो गया है जो 24.3 प्रतिषत की वार्शिक वृद्धि दर दर्षाता है। वर्श 2014–15 में केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त रकम बजट प्रावधान मात्र 58.5 प्रतिषत थी जो मिछले चार वर्शों के आंकड़ों से कम है। इसके विपरीत, 2014–15 में कुल विमुक्त रकम के 94.4 प्रतिषत भाग का उपयोग किया गया है जो स्पश्ट रूप से धनराषि के प्रभावी उपयोग को सूचित करता है। योजना के लिए केन्द्रांष और राज्यांष के विवरण तालिका 4.2 में प्रस्तु है।[6] तालिका 4.1 में भारतवर्श के सभी राज्यों एवं केन्द्रषासित प्रदेषों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों से संबंधित सूचना प्रस्तुत हैं।

तलिका 1: समेकित बाल विकास योजना में कर्मियों की स्थिति[8]

वर्ष	पद	बल विकास परियोजना अधिकारी	महिला पर्यवेक्षक	आंगनवाड़ी सेविका	आंगनवाड़ी सहायिका
2012–13	स्वीकृत	544	3288	91677	86237
	पदस्थापित	507	2916	75183	67753
	रिक्त पदों का प्रतिषत	6.8	11.3	18.0	21.4
2313–14	स्वीकृत	544	3288	91677	86237
	पदस्थापित	504	2859	82177	78076
	रिक्त पदों का प्रतिषत	7.4	13.0	10.4	9.5
2014–15	स्वीकृत	544	3288	91677	86237
	पदस्थापित	458	2499	85936	80176
	रिक्त पदों का प्रतिषत	15.8	24.0	6.3	7.0

स्त्रोतः समेकित बाल विकास योजना निदेषालय, बिहार सरकार की वेबसाइट

तलिका 2: समेकित बाल विकास योजना में संसाधनों का उपयोग

वर्ष	बिहार में समेकित बाल विकास योजना का बजट (करोड़ रू.)	केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त कुल राषि (करोड़ रू.)	व्यय (करोड़ रू)	विमुक्त राषि बजट के प्रतिषत के बतौर	व्यय विमुक्त धन के प्रतिषत के बतौर
2010–11	880.24	727.17	615.28	82.6	84.6
2011–12	1255.87	767.40	945.09	61.1	123.2
2012–13	1393.30	1094.00	1086.10	78.5	99.3
2013–14	1714.28	1147.43	1234.46	66.9	107.6
2014–15	2238.31	1308.39	1234.92	58.5	94.4

स्त्रोतः समेकित बाल विकास योजना निदेषालय बिहार सरकार की वेबसाइट

यह देखते हुए कि अनेक किषारियां स्कूल छोड़ देती हैं, कम उम्र में ब्याह दी जाती हैं और स्वास्थ्य, षिक्षा तथा अन्य सेवाओं के मामले में भेदभाव की षिकार होती हैं, उन पर विषेश ध्यान देने की जरूरत है। किषोरियां स्वास्थ्य संबंधी जिन चुनौतियों का सामना कर रही हैं उनमें गर्भवती होना, मातृ मृत्यु का जोखिम, षिषु मृत्यु, यौन सवंमित रोग, जननांगों का संक्रमण, एचआइवी से संक्रमित होना आदि षामिल हैं और इन सभी के लिए जरूरी है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की उनकी आदतों में सुधार हो। किषोरियों की जरूरतें पूरी करने के लिहाज से 11 से 18 वर्श उम्र वाली किषोरियों के लिए विषेश हस्तक्षेप के बतौर राजीव गांधी किषोरी सबलीकरण योजना (सबला) का आरंभ नवंबर 2010 में किया गया जिसका विषेशज्ञ फोकस षिक्षा विरत लड़कियां थीं। समेकित बाल विकास योजना के प्लेटफार्म का उपयोग करने वाली यह योजना देष के लगभग 953.5 लाख और बिहार की 83.0 लाख किषोरियों के लिए चल रही हैं। यह षत प्रतिषत केन्द्र प्रायोजित योजना है। आंगनवाड़ी केन्द्रों पर किषोरियों को 'सुखा राषन' या 'गर्म पके राषन' की षक्ल में 600 किलो कैलोरी ऊर्जा देनेवाला पूरक पोशाहार और 18–20 ग्राम प्रोटीन तथा सूक्ष्म पोशक तत्व प्रतिदिन उपलब्ध कराए जाते हैं। 11 से 11 वर्श उम्र की षिक्षा विरत किषोरियों तथा 14 से 18 वर्श की सभी किषारियों के लिए यह सेवा वर्श में 300 दिनों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, षिक्षा विरत किषोरियों को अन्य सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं जिनमें कौषल षिक्षा षामिल है। कार्यक्रम के उद्देष्यों की प्राप्ति के लिए इस योजना में स्वास्थ्य, षिक्षा, युवा कार्य एवं खेल–कूद और पंचायती राज संस्थाओं के तहत चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के कनवर्जेस पर भी जोर दिया जाता है।

वर्ष 2011–12 में सबला कार्यक्रम का आरंभ बिहार के 12 जिलों में किया गया था – पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, पष्चिम चंपारण, वैषाली, सहरसा, किषनगंज, कटिहार, मुंगेर, बांका और सीतामढ़ी। वर्श 2014–15 में इस योजना से 18.20 लाख किषारियां लाभान्वित हुई।

मातृअल्पपोशण देष में एक बड़ी चुनौती है क्योंकि एक–तिहाई से भी अधिक माताएं निम्न षारीरिक मात्राा सूचकांक (बीएमआइ) वाली हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना इस समस्या से निपटने वाली षत–प्रतिषत केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसका क्रियान्वयन भी समेकित बाल विकास योजना के प्लेटफार्म से किया जा रहा है। अक्तूबर 2010 में इस योजना का आरंभ पायलट के आधार पर हुआ था और अभी यह देष के 53 चुनिंदा जिलों में चल रही है। अभी लाभार्थियों को बैंक खातों या डाकघर खातों के जरिए दो किष्तों में 6,000 रू. का भुगतान किया जाता है। पहली किष्त का भुगतान गर्भावस्था की तीसरी तिमाही अर्थात सातवें से नौंवें महीने के बीच किया जाता है और विषेश षर्तें पूरी करने पर दूसरी किष्त का प्रसव के छः महीने बाद। कुछ षर्तें पूरी करने पर 19 वर्श या उससे ऊपर की माताओं को पहले दो जीवित प्रसवों तक के लिए नगद प्रोत्साहन राषि का सीधा भुगतान किया जाता है। बिहार में यह योजना वैषाली और सहरसा, दो जिलों में चल रही है। वर्श 2014–15 में इस योजना से 1.05 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई।[11]

4.4 निश्कर्श

संपूर्ण बिहार राज्य एवं बिहार के सभी 38 जिलों में चलने वाली समेकित बाल विकास सेवाएं वर्तमान में 80,211 आंगनवाड़ी केन्द्र (ॅि दृ ।दहंदूंकप ब्मदजतमे) एवं 544 बाल विकास परियोजना (बैपसक क्मअमसवचउमदज च्तवरमबज) द्वारा विस्तारित है।

प्ब्क्ै कार्यक्रम के अंतर्गत 6 वर्श से नीचे के बच्चों, गर्भवती माताओं एवं दुग्ध–पान कराने वाली माताओं व संतानोत्पत्ति योग्य (15 से 45 वर्श समूह की) महिलाओं को लाभा पहुँचाना है। इस कार्यक्रम के अधीन निम्नांकित सेवाएं प्रदान की जाती है –

- पूरक पोशाहार की आपूर्ति
- प्रतिरक्षात्मक टीकाकरण कार्य
- स्वास्थ्य जाँच
- निर्देषात्मक सेवाएं
- विद्यालय पूर्व अनौपचारिक षिक्षा
- पोशाहार एवं स्वास्थ्य संबंधी षिक्षा

प्ब्क्ै कार्यक्रम के द्वारा बच्चों, जच्चा–बच्चा एवं भावी माताओं को आवष्यक व समेकित सुविधा सुलभता पूर्वक उपलब्ध करने हेतु गाँव /कस्बा / टोला/झुग्गी झोपड़ियों के निकट आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

प्ब्क्ै कार्यक्रम के अधीन लाभार्थी समूह निम्नलिखित है –

- तीन (3) वर्श से कम उम्र के बच्चे
- तीन से छह (3–6) वर्श के बच्चे

- गर्भवती एवं दुग्धपान करानेवाली माताएँ
- पंद्रह से पैंतालिस (15–45) वर्श की संतानोत्तपत्ति योग्य महिलाएँ
- एग्यारह से अठारह (11–18) वर्श की किषोरियाँ (भावी माताएँ)

समेकित बाल विकास योजना के लिए बजट प्रावधान लगातार बढ़ा है और 2007–08 के 483.59 करोड़ रू. से 2013–14 में 1714.26 करोड़ रू. हो गया है जो 22.7 प्रतिषरत की वार्शिक वृद्धि दर दर्षाता है। वर्श 2013–14 में केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त रकम बजट प्रावधान का मात्र 66.9 प्रतिषत थी जो गत वर्श से कम है। इसे विपरीत, 2013–14 में कुल विमुक्त रकम के मुकाबले 107.6 प्रतिषत धनराषि खर्च की गई जो स्पश्ट रूप से धनराषि के प्रभावी उपयोग को सूचित करता है।

11 से 18 वर्श उम्र वाली किषोरियों के पोशण और स्वास्थ्य स्तर में सुधार करने और जीवनकौषल, स्वास्थ्य एवं पोशण की षिक्षा प्रदान करने के जरिए उनका सबलीकरण करने के उद्देष्य से केन्द्र सरकार ने राजीव गांधी किषोरी सबलीकरण योजना (सबला) का आरंभ नवंबर 2010 में किया। योजना लड़कियों को परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं साफ–सफाई, मौजूदा जन सेवाओं आदि के बारे में जानकारी से सुसज्जित करने और विद्यालय–वाह्य लड़कियों को अनौपचारिक या अनौपचारिक षिक्षा प्रणालियों के दायरे में लाने के लिए लक्षित है। योजना का क्रियान्वयन समेकित बाल विकास योजना के प्लेटफार्म का उपयोग करके किया जा रहा है और आंगनवाड़ी केन्द्र इसके सेवा प्रदान के अभिकर्त्ता हैं। हालांकि जहाँ आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अधिसंरचनात्मक और अन्य सुविधाएं अपर्याप्त हैं, वहां विद्यालयों/पंचायत भवनों/सामुदायिक भवनों में इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। सबला योजना के दो प्रमुख घटक हैं – पोशण और पोशणेतर। 11 से 14 वर्श उम्र वाली विद्यालय–वाह्य लड़कियों और 14 से 18 वर्श की उम्र वाली सारी किषोरियों को पोशण 'सूखा राषन' या 'गर्म पके राषन' की षक्ल में दिया जाता है। पोशणेतर घटक के तहत 11 से 18 वर्श उम्र की किषोरियों की विकास संबंधी जरूरतें पूरी की जाती हैं और उन्हें आयरन–फोलिक एहिड की गोलियां, स्वास्थ्य जाँच, पोशण एवं स्वास्थ्य षिक्षा, परिवार कल्याण संबंधी परामर्ष, कौषलमूलक षिक्षा, जन सेवाओं की उपलब्धता संबंधी परामर्ष और व्यावसायिक प्रषिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना एक वर्श में एक करोड़ किषोरियों को पोशण उपलब्ध कराने के लिए लक्षित है।

सन्दर्भ:

1. भारत सरकार की जनगणना, 2011 के आँकड़े – ूण्बमदेनेवपिदकपंण्बवउ
2. आर्थिक सर्वेक्षण 2015–16, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना, फरवरी 2016, पृश्ठ 304
3. वार्शिक प्रतिवेदन 2016–14, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पृश्ठ 1
4. वहीं, पृश्ठ 2–3
5. समेकित बाल विकास सेवा निदेषालय, बिहार सरकार की वेबसाइट – ूण्पबकेइपीण्हवअण्पद
6. आर्थिक सर्वेक्षण 2015–16, पूव सन्दर्भित
7. वार्शिक रिपोर्ट 2016–17, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृश्ठ 222–223

8. 5 नंबर वाला
9. वही
10. 6 नंबर वाला, पृश्ठ 305
11. वही, पृश्ठ – 306